भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 496*

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

हरियाणा में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुष निधि

*496. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के अंतर्गत विशेषकर सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित हरियाणा में आवंटित एवं व्यय की गई आयुष निधि का ब्यौरा क्या है तथा आवंटित धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा अप्रयुक्त धनराशि को पुनः आवंटित करने के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में हरियाणा सरकार की धीमी प्रगति का आकलन करने के लिए कोई विशेष मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 04 अप्रैल, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 496* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): आयुष मंत्रालय आयुष पद्धतियों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। एनएएम के तहत, मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के सापेक्ष एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, विभिन्न गतिविधियों के तहत उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों का समर्थन करता है। एनएएम के तहत, वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक हरियाणा राज्य सरकार को एसएएपी की विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए समेकित सहायता अनुदान के रूप में 25591.684 लाख रुपये स्वीकृत/आवंटित किए गए हैं और राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आवंटित राशि में से, उन्होंने 24007.189 लाख रुपये की निधि का उपयोग किया है। इसके अलावा, जैसा कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, वर्ष 2024-25 के दौरान, जिला सोनीपत को 44.78 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं और उसमें से 36.53 लाख रुपये का उपयोग किया गया है। हालाँकि, एनएएम के तहत, भारत सरकार द्वारा जिला-वार सहायता अनुदान जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख): मंत्रालय ने हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे अप्रयुक्त धनराशि को वापस करें अथवा उसे अन्य अनुमोदित गतिविधियों में पुनः आवंटित करें, ताकि वस्तु शीर्ष में परिवर्तन किए बिना व्यय में तेजी लाई जा सके।

(ग) और (घ): सरकार निम्नलिखित विभिन्न तरीकों के माध्यम से एनएएम योजना के तहत, विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित और सख्त निगरानी कर रही है:-

(i) हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से नियमित अंतराल पर गतिविधि-वार वास्तविक /वित्तीय प्रगति एकत्रित करना।

(ii) हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से सहायक दस्तावेजों के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) एकत्रित करना।

(iii) विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की वास्तविक प्रगति का विश्लेषण करने के लिए, समय-समय पर, आयुष मंत्रालय की केंद्रीय टीम द्वारा क्षेत्रीय दौरा करना, जिसके लिए हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने व्यय संबंधी सूचना दी है और उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं।

(iv) कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करने और बेहतर परिणाम हेतु आगे की योजना तय करने के लिए हरियाणा सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

(v) वास्तविक और वित्तीय प्रगति की विस्तृत समीक्षा के लिए हरियाणा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ परस्पर बैठक आयोजित करना।

*****